

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश।—

12-06-2014

श्री प्रभात कुमार, पिता-स्व० ब्रज किशोर प्रसाद, सा०-जहाजी कोठी, पो०+थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना द्वारा एक डी०बी०बी०एल० गन की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2012 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०-09-264/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक-12.06.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे अधिवक्ता के रूप में Practice कर रहे हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1391/गो०, दिनांक-09.11.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पालीगंज के अग्रसारण के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित कर अवलोकनार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, पालीगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे अधिवक्ता के रूप में Practice कर रहे हैं। आवेदक के पिता-स्व० ब्रज किशोर प्रसाद के नाम डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति सं०-2065/1954 पर धारित गन सं०-100437/1900 को अपने पिता के मृत्योपरान्त अपने नाम से कराना चाहते हैं। वर्तमान में उक्त शस्त्र मेसर्स शर्मा एण्ड सन्स, 8/ए० लालजी मार्केट, पटना में जमा है। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री प्रभात कुमार, पिता-स्व० ब्रज किशोर प्रसाद, सा०-जहाजी कोठी, पो०+थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना के आवेदित एक डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।